

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

सं०सं०अ०सां०नि०/स्था० 13-05/2018.....18..... /पटना, दिनांक.....08.01.19

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह (भा०प्र०से०),
निदेशक ।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर(भभुआ), गया, अरबल, नवादा, औरंगाबाद, मूंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, अररिया, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पश्चिम चम्पारण, सारण, एवं सिवान।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0001 प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹1,28,32,357 /-(एक करोड़ अट्ठाईस लाख बत्तीस हजार तीन सौ सन्तावन रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2018 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 28.03.2018 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0001-प्रखंड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड- 35.3454022040001 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 27 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।


7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।


8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 08वीं तारीख तक CTMIS की सत्यापित प्रति के साथ अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

9. सरकारी कर्मियों के लिए अनिवार्य कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (NIELIT) में उत्तीर्ण पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्क/शुल्क का नियमानुसार भुगतान प्रशिक्षण व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाना है।


10. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।


बजट सहा०


प्रशाखा पदा०


उप० निदेश०(ले०)


संयुक्त निदेश०(प्र०)

विश्वासभाजन

निदेशक 07/01


ज्ञापांक 18 / पटना, दिनांक 08.01.19

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक 07/01


ज्ञापांक 18 / पटना, दिनांक 08.1.19

प्रतिलिपि: 1. सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक 07/01

ज्ञापांक 18 / पटना, दिनांक 08.1.19

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने एवं निर्गत करने हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी,, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने/कराने हेतु प्रेषित।


निदेशक 07/01

